क्या है जीविका निधि?

सपनों को मिले पूँजी, मेहनत को मिले उड़ान

महिलाओं के उद्यम को मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई एक विशेष ऋण सुविधा है जीविका निधि।

इसके माध्यम से जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिलाएँ अपने व्यवसाय को बढ़ाने, नई पूँजी जोड़ने और आय में वृद्धि करने के लिए डिजिटल माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकती हैं।

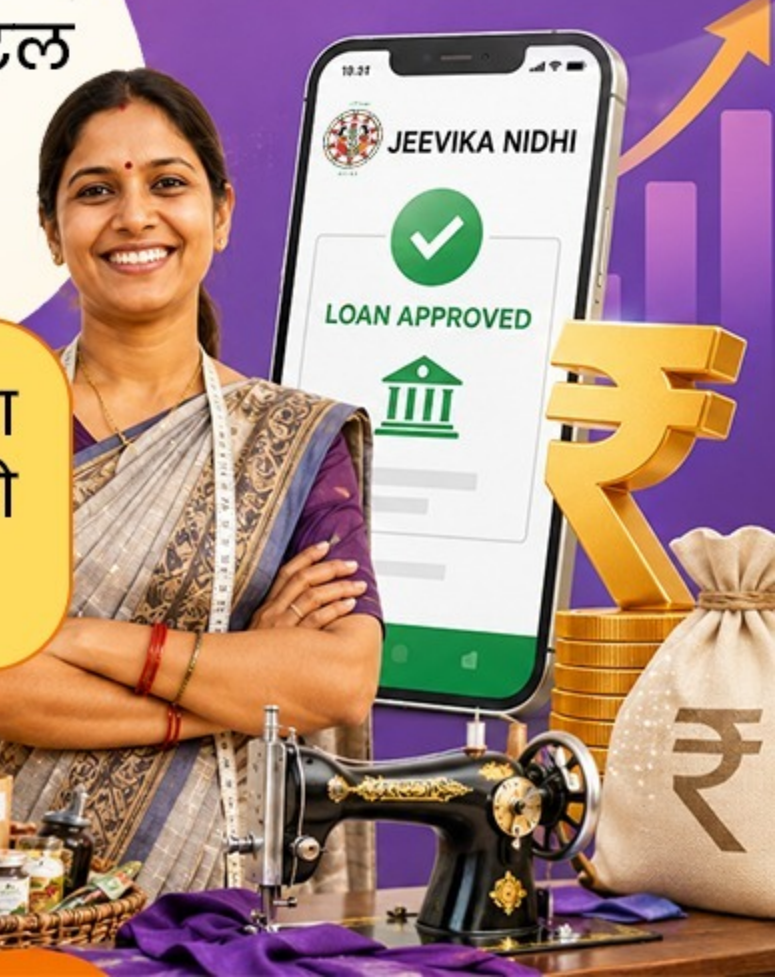

जीविका निधि का उद्देश्य सिर्फ ऋण देना नहीं, बल्कि महिलाओं के व्यवसाय को गति देना है।

@jeevika_official @jeevika.official @brlps_jeevika

जीविका निधि के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

जीविका निधि में आवेदन के लिए कुछ जरूरी पात्रताएँ

- आवेदक जीविका स्वयं सहायता समूह का सदस्य हो।
- समूह कम से कम 2 वर्ष पहले गठित हुआ हो।
- सदस्य की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच हो।
- सदस्य कम से कम 2 वर्ष से समूह से जुड़ा हो।
- समूह बैंक ऋण में पिछले 6 माह में NPA सूची में दर्ज नहीं हो।
- सक्रिय बैंक खाता और मोबाइल नंबर उपलब्ध हो।
- सदस्य का प्रोफाइल LokOS ऐप में अपडेट और सक्रिय हो।
- PMJJBY/PMSBY या अन्य बीमा योजना का लाभ ले रहे हों।

बिहार सरकार

जीविका निधि में कैसे करें आवेदन?

1. **Step 1**
   सदस्य जीविका निधि मोबाइल ऐप/ पोर्टल पर डिजिटल आवेदन करे।

2. **Step 2**
   समूह की बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा और सामूहिक सहमति प्राप्त हो।

3. **Step 3**
   बुक कीपर द्वारा आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन।

4. **Step 4**
   AC/CC स्तर पर आवेदन की जाँच।

5. **Step 5**
   BPM/AM आवेदन की जाँच कर मंजूरी के लिए आगे बढ़ाएंगे।

6. **Step 6**
   जिला स्तर पर DPM/DM द्वारा मूल्यांकन।

7. **Step 7**
   राज्य स्तर पर मैनेजर और CEO द्वारा वित्तीय परीक्षण एवं स्वीकृति।

8. **Step 8**
   CEO/प्रबंध निदेशक स्तर से अंतिम प्रशासनिक स्वीकृति एवं भुगतान।

@jeevika_official @jeevika.official @brlps_jeevika